मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی
MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY
(संसद के अधिनियम १९९८ द्वारा स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा "ए" ग्रेड प्राप्त)

सं. मानू/हि.प्र./2020/946 दिनांक- 28 फरवरी, 2020.

<u>परिपत्र</u>

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुसार केन्द्र सरकार के द्वारा नियंत्रित कार्यालयों में सभी कार्यालयी कार्य द्विभाषी रूप हिन्दी और अंग्रेज़ी में होंगें।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्टें, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के किसी सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखी जाने वाले प्रशासनिक तथा अनय रिपोर्टें सरकारी कागजात, संविदा, करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञा-पत्र, निविदा सूचनाएं और निविदा प्रपत्र द्विभाषिक रूप में, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में जारी किए जाएं। किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

तदनुसार, सभी संकायाध्यक्षों / विभागाध्यक्षों / अनुभाग अध्यक्षों / प्रभारी से अनुरोध है कि, राजभाषा अधिनियम, 1963 के अंतर्गत वह अपने आधिकारिक कार्यों के संबंध में उपरोक्त प्रावधानों पर ध्यान दें।

यदि हिन्दी में सहायता की आवश्यकता हो तो, हिन्दी प्रकोष्ठ से संपर्क किया जा सकता है।

प्रभारी कुलसचिव

संलग्नक। एम.एच.आर.डी का पत्र।

प्रति :

1. *कुलपति/ सम-कुलपति/ कुलसचिव/वित्त अधिकारी कार्यालय*
2. *सभी विभागाध्यक्ष / अनुभागाध्यक्ष / प्रभारी*
3. *संबंधित मिसिल*

173

फा.सं. 13035-14/2018-रा.भा.ए.
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
राजभाषा प्रभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 11 फरवरी, 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- मानव संसाधन विकास मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की दिनांक 14 मई, 2018 को हुई बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुपालनात्मक कार्रवाई के बारे में।

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की दिनांक 14 मई, 2018 को हुई बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भेजने के बारे में इस मंत्रालय के दिनांक 24 जुलाई, 2018 के कार्यालय ज्ञापन फा. सं. 13035-13/2016 (रा.भा.ए.) तथा दिनांक 23 अक्तूबर, 2018 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के द्वारा मंत्रालय के सभी ब्यूरो प्रमुखों तथा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों/उच्च शिक्षण संस्थानों से अनुरोध किया गया था। प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:-

1. धारा 3(3) का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
2. मूल पत्राचार हिन्दी में किया जाए।
3. सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिन्दी में की जाएं।
4. फाइलों पर कार्य हिन्दी में किया जाए, तथा
5. शोध ऐसे विषयों पर किया जाए जिससे समाज का कल्याण हो, राष्ट्र का उन्नयन हो।

अद्यतन सूचना शीघ्र भिजवाए जाने का अनुरोध है।

(सुनीति शर्मा)
निदेशक (रा.भा.)
दूरभाष 23380429

वितरण:-

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दोनों विभागों के सभी ब्यूरो प्रमुख।
2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दोनों विभागों के सभी कार्यालयों/उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रमुख।